

## वकिपीडिया के वरिद्ध मानहानिका मुकदमा

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (Asian News International- ANI) ने ANI के वकिपीडिया पेज पर कथति रूप से अपमानजनक सामग्री की अनुमति देने के लिये वकिपीडिया के वरिद्ध दलिली [उच्च नयायालय](#) में याचिका दायर की है।

- याचिकाकर्त्ता ने 2 करोड़ रुपए की कषतपूरतकी मांग करते हुए आरोप लगाया है कि सामग्री "स्पष्ट रूप से झूठी" और अपमानजनक है तथा इससे उसकी प्रतषिठा धूमलि हो रही है एवं उसकी सद्भावना को ठेस पहुँच रही है।

## वकिपीडिया

- यह वर्ष 2001 में जमिी वेलस और लैरी सेंगर द्वारा स्थापति एक नशुलक ऑनलाइन वशिवकोश है।
- यह ज्ञान की वभिनिन शाखाओं पर स्वतंत्र रूप से संपादन योग्य सामग्री उपलब्ध कराता है, जिसका उद्देश्य लकि कयि गए लेखों के माध्यम से सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करके पाठकों को लाभान्वति करना है।

## वकिपीडिया के वरिद्ध ANI के मामले का कानूनी आधार क्या है?

- [सूचना प्रौद्योगिकी \(IT\) अधिनियम, 2000](#) की धारा 2(1)(w):
  - इसमें "मध्यस्थ" की परिभाषा के अनुसार वह व्यक्ति शामिल है जो दूसरों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संभालता है। इसमें दूरसंचार, नेटवर्क और इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब-होस्टिंग सेवाएँ, सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान साइट, नीलामी साइट, बाजार तथा साइबर कैफे शामिल हैं।
- IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 (सुरक्षति बंदरगाह खंड):
  - यह मध्यस्थों को उनके प्लेटफॉर्मों के माध्यम से होस्ट या प्रसारति कसिी भी तीसरे पक्ष की सामग्री या सूचना के लिये उत्तरदायतिव से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
    - धारा 79(2)(b): सुरक्षति बंदरगाह संरक्षण का लाभ उठाने के लिये, मध्यस्थ को नमिनलखिति शर्तें पूरी करनी होंगी:
      - उन्हें अपने कर्त्तव्यों का नरिवहन करते समय पूरी तत्परता बरतनी चाहयि।
      - इसे प्रसारण आरंभ नहीं करना चाहयि प्रसारण के प्राप्तकर्त्ता का चयन नहीं करना चाहयि या प्रसारण में नहिति जानकारी को संशोधति नहीं करना चाहयि।
      - इसे सरकार के नरिदेशों जैसे कि [मध्यस्थ दशिा-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहति, 2021](#) या अदालती आदेशों का पालन करना चाहयि।
    - धारा 79(3) में कहा गया है कि यदि मध्यस्थ, सरकार द्वारा अधिसूचति कयि जाने के बाद, नरिदषिट सामग्री को तुरंत हटाने या उस तक पहुँच अक्षम करने में वफिल रहता है, तो यह सुरक्षा लागू नहीं होगी।
- आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 3:
  - यह ग्राहकों के डजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रामाणति करने की अनुमति प्रदान करता है और साथ ही प्रामाणीकरण के लिये असममति कुरपिटो प्रणाली तथा हैश फंक्शन के उपयोग की आवश्यकता होती है।
  - ग्राहक की सार्वजनिक कुंजी जो उनकी नजिी कुंजी के साथ मलिकर एक अद्वितीय कुंजी युग्म का नरिमाण करती है, का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को सत्यापति करने के लिये कयिा जा सकता है।

## नोट:

- आईटी अधिनियम की धारा 79 की तरह, अमेरिकी संचार नरिणय अधिनियम की धारा 230 में कहा गया है कि जो पक्ष इंटरैक्टिव कंप्यूटर सर्वसि प्रदान करते हैं या उनका उपयोग करते हैं, उन्हें तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई सामग्री का प्रकाशति या वक्ता नहीं मानी जाएगी।

## वकिपीडिया से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के पछिले नरिणय क्या थे?

- [\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\], 2022:](#)
  - इसमें [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वकिपीडिया पर एक लेख को अपमानजनक बताने वाली याचिकाओं को खारजि कर दिया तथा याचिकाकर्त्ताओं को लेख को संपादित करने या अन्य कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी।
- [\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\], 2023:](#)
  - सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नरिणय देने वाले प्राधिकारियों ने अपने नषिकर्षों के समर्थन में वकिपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोतों का व्यापक रूप से हवाला दिया था।
  - "इसने कानूनी विवाद समाधान के लिये वकिपीडिया जैसे भीड़-स्रोत तथा उपयोगकर्त्ता-जनित प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने के वरिद्ध चेतवनी दी, क्योंकि वे "भ्रामक जानकारी" को बढ़ावा दे सकते हैं।

## सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- [सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नयिम, 2023.](#)
- [सूचना प्रौद्योगिकी \(आईटी\) अधनियिम, 2000](#)
- [सूचना प्रौद्योगिकी \(मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डजिटिल मीडिया आचार संहति\) नयिम 2021।](#)
- [राष्ट्रीय महतत्वपूरण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र \(NCIIPC\)।](#)
- [भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र \(I4C\)।](#)

और पढ़ें: [सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नयिम, 2023.](#) [नए आईटी नयिम एवं सोशल मीडिया](#)

### UPSC सविलि सेवा, परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

[\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]](#):

प्रश्न. भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपिौरट करना नमिनलखिति में से कसिके/कनिके लिये वधिति: अधदिशात्मक है? (2017)

1. सेवा प्रदाता
2. डेटा सेंटर
3. कॉरपोरेट नकियाय

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)